

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2019-20/258

दिनांक- 11/7/19

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश संख्या 352/2018-19 दिनांक 25.02.2019 द्वारा श्री जगदीश प्रसाद मीणा (लिंक नम्बर 9151), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 का स्थानान्तरण निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर से संयुक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, अजमेर (आ.जा.दल) किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री मीणा द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

श्री मीणा को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 11/7/19 मध्याह्न पश्चात एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि चूंकि श्री मीणा का निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर में कार्य करने का अधिकार एतद् द्वारा समाप्त हो गया है, अतः उक्त कार्यालय से बिना किसी अन्य कार्यमुक्ति का इंतजार किए तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp1-ta-rj@nic.in/दूरभाष संख्या 0141-2744134/2740735 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

उक्त के अतिरिक्त, श्री मीणा को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक तक नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही भी प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहें।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

दिनांक- 11/7/19

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2019-20/258
प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मियों को नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा कार्यमुक्त किए जाने के पश्चात् अब तत्काल प्रभाव से उक्त कार्मिक का आपके विभाग में राजकीय कार्य सम्पादन करने का अधिकार समाप्त हो चुका है, अतः अब से आपके विभाग में उक्त कार्मिक से कार्य लिया जाना विधिसंगत नहीं होगा। यदि नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा कार्मिक की कार्यमुक्ति किए जाने के पश्चात् भी उक्त कार्मिक से उसके द्वारा पूर्व में धारित पद का कोई भी राजकीय कार्य आपके विभाग/कार्यालय में कराया जाता है तो उसका उत्तरदायित्व संबंधित विभाग/कार्यालय का ही होगा।
2. संयुक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, अजमेर (आ.जा.दल)।
3. श्री जगदीश प्रसाद मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय-निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर को तत्काल पालनार्थ। नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा कार्यमुक्त कर दिए जाने के कारण उक्त कार्यालय में राजकीय कार्य सम्पादन के अधिकार की समाप्ति के उपरांत भी यदि आपने उक्त विभाग/कार्यालय में कोई राजकीय कार्य किया तो इसे अत्यन्त गम्भीरता से लिया जाएगा और आपके विरुद्ध यथेष्ट अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2019-20/259

दिनांक- 11/7/19

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश संख्या 352/2018-19 दिनांक 25.02.2019 द्वारा श्री मौनू जैन (लिंग नम्बर 9317), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 का स्थानान्तरण ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, किशनगढ़, अजमेर से राजकीय पीजी महाविद्यालय (छात्र), किशनगढ़, अजमेर किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री जैन द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

श्री जैन को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 11/7/19 भ्रम्याहन पश्चात एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि चूंकि श्री जैन का ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, किशनगढ़, अजमेर में कार्य करने का अधिकार एतद् द्वारा समाप्त हो गया है, अतः उक्त कार्यालय से बिना किसी अन्य कार्यमुक्ति का इंतजार किए तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp1-ta-rj@nic.in/दूरभाष संख्या 0141-2744134/2740735 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

उक्त के अतिरिक्त, श्री जैन को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक तक नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही भी प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहें।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

दिनांक- 11/7/19

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2019-20/259
प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, किशनगढ़, अजमेर को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मी को नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा कार्यमुक्त किए जाने के पश्चात् अब तत्काल प्रभाव से उक्त कार्मिक का आपके विभाग में राजकीय कार्य सम्पादन करने का अधिकार समाप्त हो चुका है, अतः अब से आपके विभाग में उक्त कार्मिक से कार्य लिया जाना विधिसंगत नहीं होगा। यदि नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा कार्मिक की कार्यमुक्ति किए जाने के पश्चात् भी उक्त कार्मिक से उसके द्वारा पूर्व में धारित पद का कोई भी राजकीय कार्य आपके विभाग/कार्यालय में कराया जाता है तो उसका उत्तरदायित्व संबंधित विभाग/कार्यालय का ही होगा।
2. प्राचार्य, राजकीय पीजी महाविद्यालय (छात्र), किशनगढ़, अजमेर।
3. श्री मौनू जैन, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय- ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, किशनगढ़, अजमेर को तत्काल पालनार्थ। नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा कार्यमुक्त कर दिए जाने के कारण उक्त कार्यालय में राजकीय कार्य सम्पादन के अधिकार की समाप्ति के उपरांत भी यदि आपने उक्त विभाग/कार्यालय में कोई राजकीय कार्य किया तो इसे अत्यन्त गम्भीरता से लिया जाएगा और आपके विरुद्ध यथेष्ट अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-I)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2019-20/260

दिनांक- 11/7/19

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश संख्या 352/2018-19 दिनांक 25.02.2019 द्वारा श्री भूपेन्द्र बिलोनिया (लिक नम्बर 9660), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 का स्थानान्तरण जिला परिषद् (पंचायत प्रकोष्ठ), अजमेर से संयुक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, अजमेर (आ.जा.दल) किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री बिलोनिया द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

श्री बिलोनिया को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 11/7/19 मध्याह्न पश्चात एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि चूंकि श्री बिलोनिया का जिला परिषद् (पंचायत प्रकोष्ठ), अजमेर में कार्य करने का अधिकार एतद् द्वारा समाप्त हो गया है, अतः उक्त कार्यालय से बिना किसी अन्य कार्यमुक्ति का इंतजार किए तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp1-ta-rj@nic.in/दूरभाष संख्या 0141-2744134/2740735 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

उक्त के अतिरिक्त, श्री बिलोनिया को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक तक नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही भी प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहें।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2019-20/260
प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

दिनांक- 11/7/19

1. जिला परिषद् (पंचायत प्रकोष्ठ), अजमेर को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मियों को नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा कार्यमुक्त किए जाने के पश्चात् अब तत्काल प्रभाव से उक्त कार्मिक का आपके विभाग में राजकीय कार्य सम्पादन करने का अधिकार समाप्त हो चुका है, अतः अब से आपके विभाग में उक्त कार्मिक से कार्य लिया जाना विधिसंगत नहीं होगा। यदि नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा कार्मिक की कार्यमुक्ति किए जाने के पश्चात् भी उक्त कार्मिक से उसके द्वारा पूर्व में धारित पद का कोई भी राजकीय कार्य आपके विभाग/कार्यालय में कराया जाता है तो उसका उत्तरदायित्व संबंधित विभाग/कार्यालय का ही होगा।
2. संयुक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, अजमेर (आ.जा.दल)।
3. श्री भूपेन्द्र बिलोनिया, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय- जिला परिषद् (पंचायत प्रकोष्ठ), अजमेर को तत्काल पालनार्थ। नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा कार्यमुक्त कर दिए जाने के कारण उक्त कार्यालय में राजकीय कार्य सम्पादन के अधिकार की समाप्ति के उपरांत भी यदि आपने उक्त विभाग/कार्यालय में कोई राजकीय कार्य किया तो इसे अत्यन्त गम्भीरता से लिया जाएगा और आपके विरुद्ध यथेष्ट अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2019-20/261

दिनांक- 11/7/19

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश संख्या 352/2018-19 दिनांक 25.02.2019 द्वारा श्री प्रमोद कुमार (लिंक नम्बर 9156), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 का स्थानान्तरण विकास अधिकारी, पंचायत समिति, मसूदा, अजमेर से प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय मसूदा, अजमेर किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री प्रमोद कुमार द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

श्री प्रमोद कुमार को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 11/7/19 मध्याह्न पश्चात एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि चूंकि श्री प्रमोद कुमार का विकास अधिकारी, पंचायत समिति, मसूदा, अजमेर में कार्य करने का अधिकार एतद् द्वारा समाप्त हो गया है, अतः उक्त कार्यालय से बिना किसी अन्य कार्यमुक्ति का इंतजार किए तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp1-ta-rj@nic.in/दूरभाष संख्या 0141-2744134/2740735 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

उक्त के अतिरिक्त, श्री प्रमोद कुमार को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक तक नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही भी प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहें।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2019-20/261
प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

दिनांक- 11/7/19

1. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, मसूदा, अजमेर को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्म को नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा कार्यमुक्त किए जाने के पश्चात् अब तत्काल प्रभाव से उक्त कार्मिक का आपके विभाग में राजकीय कार्य सम्पादन करने का अधिकार समाप्त हो चुका है, अतः अब से आपके विभाग में उक्त कार्मिक से कार्य लिया जाना विधिसंगत नहीं होगा। यदि नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा कार्मिक की कार्यमुक्ति किए जाने के पश्चात् भी उक्त कार्मिक से उसके द्वारा पूर्व में धारित पद का कोई भी राजकीय कार्य आपके विभाग/कार्यालय में कराया जाता है तो उसका उत्तरदायित्व संबंधित विभाग/कार्यालय का ही होगा।
2. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय मसूदा, अजमेर।
3. श्री प्रमोद कुमार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय-विकास अधिकारी, पंचायत समिति, मसूदा, अजमेर को तत्काल पालनार्थ। नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा कार्यमुक्त कर दिए जाने के कारण उक्त कार्यालय में राजकीय कार्य सम्पादन के अधिकार की समाप्ति के उपरान्त भी यदि आपने उक्त विभाग/कार्यालय में कोई राजकीय कार्य किया तो इसे अत्यन्त गम्भीरता से लिया जाएगा और आपके विरुद्ध यथेष्ट अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
4. उपनिदेशक (एसपीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1)